रे स. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

C.Kau 13.12.84

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1984/आश्विन 9, 1906
No. 492] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 1, 1984/ASVINA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1984

का. आ. 760 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 344(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1984 को अधिक्रांत करते हुए, 683/- रु. प्रति किलोग्राम

को उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर वे विनिर्मित क्लोरम्फेनिकील मोनो-स्टिओराल ग्लाइकोलेट का विक्रय किया जाए

[सं. 8/10/82-ड

इ. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 10th Sept. 1984

S.O. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 344(E), dated the 26th April, 1984, the Central Government hereby fixes Rs. 683/-per kg. as the maximum sale price at which Chloramphenicol Mono-Stearoyl Glycolate manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(10)/82-D. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984